



2026:AHC:50347

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3388 वर्ष 2026

नरेंद्र कुमार

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कुशल राज चौधरी, प्रदीप सक्सेना, राम नरेश मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सक्सेना और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. विरोधी पक्षों के अधिवक्ता ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे आगे कोई और हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निपटारा इसी प्रारंभिक चरण पर किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, जो ज़िला कृषि रक्षा अधिकारी, बरेली के कार्यालय में कार्यरत था और दिनांक 29.06.2024 को उसका स्थानांतरण कर दिया गया जिसके तहत उसे उप कृषि निदेशक, पीलीभीत के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया। उक्त ट्रांसफर आदेश को रिट-ए संख्या 14380/2024 में चुनौती दी गई थी, जिसे 21.09.2024 को खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ रिट याचिकाकर्ता ने स्पेशल अपील संख्या 977/2024 दायर की जिसे भी 24.10.2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, ट्रांसफर की जगह पर जॉइन करने के बाद, रिट याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के सामने यह गुहार लगाई कि उन्हें वापस बरेली ट्रांसफर कर दिया जाए, खासकर मेडिकल समस्याओं के

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कारण। इस अनुरोध को 10.01.2025 को कृषि संयुक्त निदेशक, बरेली मंडल, बरेली द्वारा स्वीकार कर लिया गया हालाँकि, इस आदेश को 18.11.2025 को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि 10.01.2025 का आदेश बिना किसी मंजूरी और अधिकार के पारित किया गया था।

4. इसी को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका दायर की है।

5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता ने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था तथापि चिकित्सीय आपात स्थिति के कारण उन्हें पीलीभीत से वापस बरेली भेजा जाना चाहिए था, और 10.01.2025 को ऐसा ही किया गया था, जिसे दिनांक 18.11.2025 के आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

6. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह कहना है कि बात चाहे जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प हमेशा खुला है कि नई स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद आगामी स्थानांतरण सत्रों में वह पीलीभीत स्थानांतरण के लिए अनुरोध कर सकता है।

7. इस बात पर, पिटीशनर के अधिवक्ता को कोई एतराज़ नहीं है और वह इसे खुशी-खुशी मान लेते हैं।

8. मैंने पार्टियों के अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

9. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

10. रिट याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला रखा जाता है कि आगामी स्थानांतरण सत्रों में जब नई स्थानांतरण नीति लागू हो जाए तो वह सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है और यदि ऐसी कोई प्रार्थना की जाती है और न्यायालय के पास उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होता है तो उस प्रार्थना पर कानून के अनुसार ही सख्ती से विचार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।